भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

एस.ए.आर. वाद सं0-06/2016-17

उसना बानरा **बनाम** गोपो दास

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभियुक्ति

15-2-2018

यह अभिलेख आवेदिका उसना बानरा पति सुरेश बानरा, ग्राम-कृष्णापुर, थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावाँ के आवेदन पर छोटानागपुर अधिसूचित क्षेत्र 1971 सी0एन0टी0 संशोधित अधिनियम 1971 के अधीन भूमि वापसी हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में खुला है। आवेदिका को प्रथम पक्ष एवं विपक्षी श्री गोपो दास पिता स्व0 बादल दास, निवासी ग्राम -कृष्णापुर, थाना-राजनगर, जो गैर आदिवासी है को द्वितीय पक्ष संबोधित करते हुए आवेदन सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया।

-: **भूमि का विवरण निम्न प्रकार है** :-

मौजा	**थाना नं0**	**खाता नं0**	**खेसरा नं0**	**रकवा**
कृष्णापुर	138	305	1367/अंदर	0.05 ए0

द्वितीय पक्ष को कारणपृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी से प्रथम पक्ष द्वारा प्राप्त आवेदन का जाँच प्रतिवेदन की मांग किया गया।

प्रथम पक्ष के लिखित कथनानुसार आवेदिका अनुसूचित जनजाति(ST) की श्रेणी के अन्तर्गत आते है। वापस की जाने वाले भूमि मौजा कृष्णापुर, थाना नं0-138, खाता नं0-305, खेसरा नं0-1367/अंदर, रकवा-1.09 एकड़ में से 0.05 एकड़ जमीन विपक्षी श्री गोपो दास पिता स्व0 बादल दास, ग्राम-कृष्णापुर, पो0+थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ द्वारा उक्त जमीन पर पाँच वर्ष पूर्व से दो कमरा मिट्टी का दिवाल छत एस्बेस्टस का निर्माण कर नजायज तरीके से निर्माण किया गया है।

द्वितीय पक्ष के लिखित कथनानुसार उसना बानरा को धारा 71'A' के अन्तर्गत वाद दाखिल करने कोई भी हक एवं अधिकार नहीं है, साथ ही उन्होनें यह भी उल्लेख किया है कि वाद में उल्लेखित जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ। द्वितीय पक्ष द्वारा अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 50 दिनांक 10.01.18 द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन में मतभेद का उल्लेख किया है। साथ ही विवादित ज़मीन उनके दादा भागीरथी दास के नाम से 1925-27 के सर्वे सेटेलमेंन्ट में दर्ज है का लिखित उल्लेख किया है।

उभय पक्ष को विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं दोनों पक्षों के कागजातों का अवलोकन किया। साथ ही अंचल अधिकारी, राजनगर द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कंडिका-3 वापस ली जाने वाली भूमि का पूरा विवरण मौजा-कृष्णापुर, थाना नं0-138, खाता नं0-305, खेसरा नं0-1367 रकवा-1.09 में से कण्डिका-4 जिन व्यक्ति के दखल में जमीन है, उनका ब्यौरा में यह स्पष्ट है कि 1.09 एकड़ में से 0.05 एकड़ भूमि पर गोपो दास पिता स्व0 बादल दास ग्राम-कृष्णापुर थाना-राजनगर द्वारा कण्डिका-5

वापस ली जाने वाली जमीन का दखल संबंधी विवरण में नजायज तरीके से दखलकार है। दख़लकार से कागजात का मांग किया गया, परंतु कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया। साथ ही कण्डिका-6 दखल का वर्ष में 5 वर्ष पूर्व से अंकित किया गया है। साथ ही पुनः अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 50 दिनांक 10.01.2018 द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-कृष्णापुर, थाना नं0-138, खाता नं0-305, रकवा-2.61 एकड़ भूमि बन्दोबस्ती वाद सं0-579/1970-71 के द्वारा बन्दोबस्ती स्वीकृत होकर जमाबंदी के जिल्द सं0-II, पृष्ठ सं0-118 पर श्री रासो हो पिता गुमदी हो के नाम से दर्ज है, जो आवेदिका के पिता है। साथ ही अद्यतन लगान रसीद सं0-013077 दिनांक 08.12.2014 तक है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आवेदिका उसना बानरा पति सुरेश बानरा, ग्राम-कृष्णापुर, थाना-राजनगर का आवेदन वैध है एवं विपक्षी गोपो दास पिता स्व0 बादल दास, जो गैर आदिवासी है द्वारा दो कमरा मिट्टी का दिवाल छत एस्बेस्टस का निर्माण कर अवैध तरीके से निर्माण कर दखल किया है।

अतः आवेदक के आवेदन को स्वीकृत कर विपक्षी को मौजा-कृष्णापुर, थाना नं0-138, खाता नं0-305, खेसरा नं0-1367 में अतिक्रमित रकवा 0.05 एकड़ से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। विपक्षी को यह आदेश दिया जाता है कि आदेश पारित के एक माह के अंदर आवेदित भूमि में से निर्मित संरचना को स्वयं हटा ले अन्यथा ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार खाली करा लिया जायेगा।

आदेश की प्रतिलिपि अंचल अधिकारी, राजनगर को भेजें एवं निर्धारित समय के बाद अनुपालन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित

15/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

सरायकेला।

15/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

सरायकेला।